

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल : dme12001@yahoo.com
वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in

क्रमांक /स्था/राज/2019

भोपाल दिनांक /02/2019

//आदेश//

चिकित्सा महाविद्यालयों के पदों के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत वर्तमान में एम.सी.आई के प्रावधानों के अनुसार पद आवश्यक न होने एवं रिक्त होने पर पद समर्पण की प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के कार्डियक एनेस्थेसिया विभाग में प्राध्यापक के सृजित 01 पद को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में किडनी प्रत्यारोपण यूनिट की स्थापना के लिये आवश्यक होने एवं जन सामान्य को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत नेफ्रोलॉजी विभाग में समान सामर्थ्य पर स्थानांतरित किया जाता है।

पृ0क्रमांक 293-97 /स्था/राज/2019
प्रतिलिपि:-

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 07/02/2019

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
2. संभागायुक्त इंदौर/भोपाल ।
3. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं अनुसूची में आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित ।
4. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अनुसूची में आवश्यक संशोधन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल : dme12001@yahoo.com
वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in

क्रमांक /स्था/राज/2019

भोपाल दिनांक /01/2019

// आदेश //

चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के कार्डियोथोरोसिक सर्जरी विभाग में प्राध्यापक 01, सह प्राध्यापक 01, सहायक प्राध्यापक 01, कुल 03 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में सह प्राध्यापक उपलब्ध न होने के कारण एक यूनिट बनाने हेतु फैकल्टी पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं।

अतः उपरोक्तानुसार जन सामान्य को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के कार्डियोथोरोसिक सर्जरी विभाग में स्वीकृत सह प्राध्यापक के 01 पद को आगामी 02 वर्ष के लिये सहायक प्राध्यापक में परिवर्तित किया जाता है।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ0क्रमांक 238-41 /स्था/राज/2019
प्रतिलिपि:-

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 01/02/2019

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा।
3. संभागायुक्त भोपाल संभाग भोपाल।
4. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 494/सीटी सर्जरी/2019 दिनांक 14.01.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल : dme12001@yahoo.com
वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in

क्रमांक /स्था/राज/2019

भोपाल दिनांक /01/2019

//आदेश//


चिकित्सा महाविद्यालयों के पदों के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत वर्तमान में एम.सी.आई के प्रावधानों के अनुसार पद आवश्यक न होने एवं रिक्त होने पर पद समर्पण की प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के कार्डियोलॉजी विभाग तथा न्यूरो सर्जरी विभाग में सहायक प्राध्यापक के कुल सृजित 02-02 पदों में से 01-01 पद को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के अंतर्गत जन सामान्य को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत न्यूरोलॉजी एवं अंकोलॉजी विभागों में समान सामर्थ्य पर स्थानांतरित किया जाता है ।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

243-48
पृ0क्रमांक /स्था/राज/2019
प्रतिलिपि:-

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 01/01/2019

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ।
3. संभागायुक्त जबलपुर/भोपाल ।
4. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुसूची में आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित ।
5. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अनुसूची में आवश्यक संशोधन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश